संख्या-31/2020/2336/77-6-2020-10(बजट)/16

प्रेषक,

सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2020

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत 04 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू. 29,02,862.00 (रूपये उन्तीस लाख दो हजार आठ सौ बांसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या-1820/औ0आ0अनु0-11/स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति/2020-21दिनांक 21-08-2020 द्वारा पात्र कुल 04 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	इकाई का नाम/पता	विलेख निबन्ध की तिथि	वाणिज्य उत्पादन की तिथि	शासनादेश सं0 848/77-6-13-15 (एम) 05 दिनांक 4-06-13 के अन्तर्गत निमित	प्रतिपूर्ति योग्य पायी गयी धनराशि (रू0 में)
1	मे0बी0के0पोली प्रिन्ट,कानपुर नगर, प्लाट नं0-1/5 नवाबगंज, कानपुर नगर।	29.01.2014	24.03.2016	$1185.56 \times 250\% = 2963.90$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 1826.60 वर्ग मी0 से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1826.60 वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	14,06,824.00
2	मे0 मोन्टी नमकीन उद्योग प्लाट न0-डी-88,उद्योग कुंज, पनकी औद्योगिक एरिया, साईट-5 कानपुर नगर।	09-09-2015	11.07.2016	$529.24 \times 250\% = 1323.10$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 800.10 वर्ग मी0 से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 800.10 वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	5,20,000.00
3	मे0 बेरी टार्टस् एल एल पी, प्लाट नं0-सी 41 पनकी औद्योगिक एरिया उद्योग कुंज साइट-5 कानपुर नगर।	30.09.2016	15.11.2016	$455.99 \times 250\% = 1139.975$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 1020.10 वर्ग मी0 से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1020.10 वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	8,24,750.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	मे0फीडप्रो एग्रो प्रा0लि0 गाटा सं0-13, ग्राम-सरफुद्दीन निकट ग्राम- ककेथल रामघाट रोड, अलीगढ।	13.05.2013	25.06.2014	$1451.47 \times 250\% = 3628.67$ वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 3093 वर्ग मी0 से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 3093 वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	1,51,288.00
				कुल योग-	29,02,862.00 (रूपये उन्तीस लाख दो हजार आठ सौ बांसठ मात्र)

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 करोड (रू0 पॉच सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत उपर्युक्त 04 इकाइयों के स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु समेकित रूप से धनराशि रू0 29,02,862.00 (रूपये उन्तीस लाख दो हजार आठ सौ बांसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
2- किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
3- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020, 07.04.2020 व 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
6- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जायेगा।
7- संबंधित औद्योगिक इकाई को उक्त सुविधा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी जायेगी। अत: उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
8- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित इकाई द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा।
9- छूट प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की आवश्यकता व परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा अवस्थापना सुविधा से संबंधित इकाइयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का उल्लेख होगा।

11- निबंधन के पश्चात महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित इकाइयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारण्टी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ताकि छूट का दुरूपयोग न हो।

12- आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व उपरोक्त इकाइयों की पात्रता एवं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित मद में जमा धनराशि की पुष्टि कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

13- इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय,60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-6-714/दस2020 दिनांक-05.10.2020 द्वारा प्राप्त सहमति के तहत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-31/2020/2336(1)/77-6-2020-10(बजट)/16तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
(3) अपर मुख्य सचिव,सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,उ0प्र0शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(6) नियोजन अनुभाग-1/4
(7) स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (अनुभाग-7)
(8) औद्योगिक विकास अनुभाग-2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in